न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 821 / 2018

प्रार्थी :–

1. सांवलराम पुत्र रामजी राम उम्र 35 वर्ष
2. गिरधारी राम पुत्र रामजी राम उम्र 35 वर्ष
3 गुणेशाराम पुत्र जगमालराम उम्र 70 वर्ष
4 विशनाराम पुत्र जगमालराम उम्र 68 वर्ष
5 भगाराम पुत्र लक्ष्मण राम उम्र 70 वर्ष
6. हड़मानराम पुत्र लक्ष्मण राम उम्र 60 वर्ष
7.देवाराम पुत्र नगाराम उम्र 60 वर्ष
8. बाबूराम पुत्र नगाराम उम्र 55 वर्ष
9. वालाराम पुत्र रणछोड़ राम उम्र 60 वर्ष
10. रूपाराम पुत्र मादा राम उम्र 28 वर्ष
11. मोहनलराम पुत्र मादा राम उम्र 25 वर्ष
12. जीवाराम पुत्र मादाराम उम्र 14 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता गीगी देवी बेवा मादाराम
13. गीगी देवी बेवा मादाराम उम्र 48वर्ष
14. धनाराम पुत्र पीराराम उम्र 35 वर्ष
15. गोमाराम पुत्र प्रभूराम उम्र 50 वर्ष
16. कानाराम पुत्र प्रभूराम राम उम्र 40 वर्ष
17 किशनाराम पुत्र प्रभूराम उम्र 33 वर्ष
18. गैरो बेवा प्रभूराम उम्र 70 वर्ष
19. खीमाराम पुत्र पेमाराम उम्र 59 वर्ष
20. बुधाराम पुत्र पेमाराम उम्र 45 वर्ष
21. जेठाराम पुत्र पेमाराम उम्र 40 वर्ष
22. चौथी बेवा पेमाराम उम्र 75 वर्ष
23. चिमनाराम पुत्र रूगनाथराम उम्र 55 वर्ष
24. खंगाराराम पुत्र रूगनाथराम उम्र 52 वर्ष
25.लिखमाराम पुत्र रूगनाथराम उम्र 48 वर्ष
26. हिम्मताराम पुत्र रूगनाथराम उम्र 43 वर्ष
27. वगताराम पुत्र पुनमाराम उम्र 55 वर्ष
28. केसाराम पुत्र पुनमाराम उम्र 50 वर्ष
29. जोधाराम पुत्र पुनमाराम उम्र 45 वर्ष सभी जातियान कलबी चौधरी निवासीयान कनाना, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

Signature Not Verified

बनाम

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:09:49 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थीगण :–

1. गीगी पुत्री वगताराम जाति र...
2. सुगीदेवी पत्नी भेराराम जाति रबारी
3. मीरा देवी पत्नी हरमलराम ज... रबारी
4. राणी देवी पत्नी नेमाराम जाति रबारी
5. मोहनसिह पुत्र भवरसिह जाति पुरोहित
6. किशोर सिह पुत्र भवरसिंह जाति पुरोहित
7. खमादेवी बेवा भवरसिंह जाति पुरोहित

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Scanned with CamScanner

(2)

8. भेरूसिह पुत्र गोरधनसिंह जाति पुरोहित
9. सुर्जनसिह पुत्र गोरधसिंह जाति पुरोहित
10. भीमाराम पुत्र डुंगराराम जाति कलबी चौधरी
11. जेठाराम पुत्र नेनाराम जाति कलबी चौधरी
12. प्रागाराम पुत्र प्रभुजी जाति कलबी चौधरी
13. भोमाराम पुत्र देदाराम जाति कलबी चौधरी
14. हड़मानराम पुत्र जैरूपाराम जाति कलबी चौधरी
15. गणपत पुत्र राणा राम जाति कलबी चौधरी
16. वगताराम पुत्र पीथाराम जाति कलबी चौधरी
17. भंवराराम पुत्र मंगलाराम जाति कलबी चौधरी
18. हिमताराम पुत्र सांवल राम जाति कलबी चौधरी
19. हेमाराम पुत्र चतराराम जाति कलबी चौधरी
20. चिमनाराम पुत्र सोनाराम जाति कलबी चौधरी
21. सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा,
22. एस.बी.बी.जे. शाखा पारलु
23. ग्राम पंचायत कानाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कानाना हल्का नवातला,तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

(S.D.O.) बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0</u>
<u>बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :–
1. श्री अचलाराम थोरी प्रार्थीगण वकील
2. श्री पुनमाराम विप्रार्थीगण वकील

<u>'आदेश'</u>

दिनांक :– 21.01.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा कनाना तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 88 रकबा 17 बीघा 11 विस्वा मे आई हुई है । प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 24 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 20 प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि की सीमाओ की बाउण्ड्री को लेकर भारी संशय व्याप्त है। विप्रार्थीगण खातेदारी भूमि के सेढा/मेढ को लेकर [illegible] आमादा है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर वि[illegible] करते [illegible] है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा [illegible] रहता है। इस कारण प्रार्थी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दिनांक 14.10.2018 दर्ज कर विप्रार्थीगण सम्मन जारी किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 13, 10 ता 17, 20 के वकील उपस्थित। दीगर विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस रसीदे पेश होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः उक्त

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (बा.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:09:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। तहसीलदार पचपदरा के कमांक/भू0अ0/2020/1807 दिनांक 9.09.2020 को सीमाकंन मौका फर्द रिपोर्ट व दिनांक 20.06.2020 की सीमाकंन मौका फर्द रिपोर्ट पत्रावली में पेश की गयी।

दोनो पक्षों के वकील की बहस को सुना गया। सीमांकन मौका फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा कनाना तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 88 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक कानाना को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि नेखमबंदी करने से पूर्व एक तारीख निश्चित कर दोनो पक्षकारान को सूचित करवा कर वे दोनो पक्षों की उपस्थिति में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों मौका कमिश्नर शुल्क एक हजार रूपये नियत किये जाते है। जिसे प्रार्थीगण कमिश्नर शुल्क अदा करें । यदि पुलिस ईमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस जाब्ता प्राप्त करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (पच.)

आज दिनांक 21.01.2021 को आदेश खुले न्या[illegible] या गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:09:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (पच.)

Scanned with CamScanner